न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 581 सन 2018
अनवान :–

1. मांगगर पुत्र पनगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शंकरगर पुत्र मिश्रगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. श्रवणगर पुत्र शंकरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. पनगर पुत्र शंकरगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. बनवारीगर 5 किशनगर पि0 भोलगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

6 तुलछीदेवी 7 सुमन देवी पुत्रीया भोलगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

8. बोगी देवी पत्नी भोलगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 26.12.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 113/43 के खसरा न0 163 की 2.124हैक खसरा न0 135/3 की 2.014हैक खसरा न0 279 की 1.127हैक कुल 6.425हैक एवं खाता संख्या 250/254 के खसरा न0 154 की 3.288हैक खसरा न0 366 की 12.583हैक कुल 15.871हैक व रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 248 की 1.770हैक भूमि वर्तमान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई जिनके खाता विभाजन करवाने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 113/43 की कुल 6.425हैक एवं खाता संख्या 250/254 की कुल 15.871हैक भूमि आई है।

वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति हे जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 माता है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 प्रतिवादी संख्या 3 ,4 की बहिने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1, ता 8 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद

भूमि पूर्व में वादी के पडदादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 प्रतिवादी संख्या 4 ,5 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 8 माता है जिन्होने यह भी निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 , 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पडदादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हक हिस्सा होता है जिसकी वादी धोषणा करवा पाने का अधिकारी है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 8 वादी की पिता/माता , 6 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,5 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 6,7,8 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की सहमति के आधार पर काबिल डिक्री होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 113/43 की कुल 6.425हैक , खाता संख्या 250/254 की कुल 15.871हैक एवं खाता संख्या 248 की 1.770हैक भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/–अखरे रूपये पाचं हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official